

17/1/25
वकीलों द्वारा आज काय स्थगन रखा गया है।
पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु
आईदा दिनांक 7/2/25 को पेश हो।

17/1/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील काफी अनुपरिचित हैं। वकील
स्वयं भी अनुपरिचित हैं। इनकी क्षौर से छोड़ी वकील अत्य
भी उपरिचित नहीं हैं। बारम्बार प्रावजिला गवाही
। परन्तु न्यायालय समय तक छोड़ी भी उपरिचित
नहीं हैं। अतः राजस्व वारिफाई इफ्तम हाजरी इफ्तम
पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फौजल शुमार
दी। नम्बर से कम होकर वाखिला दफ्त रही।

डिवायन उपखण्ड अधिकारी
(द्वितीय) भिनाय (अजमेर)